भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 127

दिनांक 04.12.2023 को उत्तर देने के लिए

खदानों में तकनीशियन और कर्मचारियों की कमी से संबंधित आंकड़े

127. श्री सैयद नासिर हुसैन:

डा. अमी याज्ञिक:

श्री नीरज डांगी:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री दिग्विजय सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश की विभिन्न खदानों में कार्यरत तकनीशियनों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या के संबंध में आंकड़े हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या देश भर की खदानों में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खनन उद्योग में शिक्षित और सुप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं के रोजगार के प्रावधानों को खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत शामिल किया गया है। पट्टा धारकों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में खानों में अनंतिम औसत दैनिक रोजगार 1,18,877 था।

(ग): तकनीकी कर्मचारियों को संबंधित पट्टा धारकों द्वारा वैधानिक प्रावधानों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित किया जाता है।

(घ): खानों में खनन अभियंता के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने खानों में नियोजित किये जाने वाले खनन अभियंताओं की योग्यता में छूट देकर दिनांक 03.11.2021 से खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन किया है। संशोधन के पश्चात, विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा खनन और खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा के साथ-साथ द्वितीय श्रेणी सक्षमता प्रमाण पत्र या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी सक्षमता फोरमैन प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति खनन अभियंताओं के रूप में नियोजित किये जाने के पात्र हैं।

*****